संख्या- 27/2025/197/छप्पन-2025-98/2013

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 04 मार्च, 2025

विषयः आगरा एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था एवं यात्री सुविधाओं के उद्देश्य से Visitor shed हेतु ली गयी रक्षा विभाग की भूमि के लीज रेंट के लिए धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 213/आर0सी0एस0-2022-ए-4/2019 दिनांक 06.11.2024 एवं पत्र संख्या- 356/आर0सी0एस0-2022-ए-4/2019 दिनांक 03.01.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रक्षा सम्पदा अधिकारी, आगरा सर्किल, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, आगरा के पत्र संख्या- 4/3468/II/11 दिनांक 22.01.2025 के क्रम में आगरा एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था एवं यात्री सुविधाओं के उद्देश्य से Visitor shed हेतु ली गयी रक्षा विभाग की भूमि के लीज रेंट वर्ष 2023-24 हेतु धनराशि रू0 14,69,953.00/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, आगरा के निवर्तन हेतु जारी करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में आगरा एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था एवं यात्री सुविधाओं के उद्देश्य से Visitor shed हेतु ली गयी रक्षा विभाग की भूमि के लीज रेंट वर्ष 2023-24 हेतु धनराशि रू0 14,69,953.00/- (रूपए चौदह लाख उनहत्तर हजार नौ सौ तिरपन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, आगरा के निवर्तन हेतु अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 के अन्तर्गत उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 14,69,953.00/- (रूपए चौदह लाख उनहत्तर हज़ार नौ सौ तिरपन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, आगरा के निवर्तन पर रखी जाएगी और सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा यथा आवश्यकता सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा लेखाशीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय" से वहन किया जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-7-302/दस-2024-2025, दिनांक 25 फरवरी, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 27/2025/197(1)/छप्पन-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. रक्षा सम्पदा अधिकारी, आगरा सर्किल, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, आगरा ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, आगरा।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
7. कार्यपालक निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गाँधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली- 110003 ।
8. समीक्षा अधिकारी (बजट)/ गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।